IV 13/20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 490759

दस्तावेज ट्रस्ट (ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र)

हम कि अमित कुशवाहा पुत्र श्री केदार नाथ वर्मा ग्राम –चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, जनपद–बलिया (उ0प्र0) द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 10-02-2020. को अस्तित्व मे लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय,आध्यत्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा,आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा,शैक्षिक जागरूकता,शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा,गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति,अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने मे विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। अमित कुशवाहा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व श्रीमती संगीता कुशवाहा पत्नी श्री अमित कुशवाहा, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए भॉ गतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते है। ट्रस्ट का नाम,पता निम्नवत् है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 527625

(2)

ट्रस्ट (न्यास) का नाम – **मॉ मतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता– ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, तहसील–बेल्थरा रोड, जनपद–वलिया।

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, तहसील–बेल्थरा रोड, जनपद–वलिया।(उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

ट्रस्ट मे निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये है।

(1) श्री अमित कुशवाहा पुत्र श्री केदार नाथ वर्मा
ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, जनपद–बलिया। (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
आधार नं0 429452052208 मो0 9450351307

(2) श्रीमती संगीता कुशवाहा पत्नी श्री अमित कुशवाहा
ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, जनपद–बलिया। (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

(3) श्री केशव प्रसाद वर्मा पुत्र स्व0स्वामीनाथ वर्मा
ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह,जनपद–बलिया। (सदस्य)

(4) श्री त्रिलोकी नाथ वर्मा पुत्र स्व0 स्वामीनाथ वर्मा
ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, जनपद–बलिया। (सदस्य)

(5) श्री अशोक वर्मा पुत्र स्व0 स्वामीनाथ वर्मा
ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह, जनपद–बलिया। (सदस्य)

(6) मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र नाथ
ग्राम–तिरनई मौलाराय पो0–महरी,जनपद–बलिया। (सदस्य)

04/02/2020 सा० न० ज०91/20

आवेदन सं०: 202000975000407

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 13	वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अमित कुशवाहा, पुत्र श्री केदार नाथ वर्मा

निवासी: ग्राम पो चन्दाडीह जिला बलिया

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजेश वर्मा, पुत्र श्री स्व० बेचू

निवासी: ग्राम पो अखोप जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री तेजबहादुर मौर्य, पुत्र श्री रमाकान्त

निवासी: ग्राम पो भुजैनी जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

दीपक कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक : बेल्थरा रोड
बलिया

दीपक कुमार सिंह
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अमित कुमार वर्मा
07 JAN 2020
कोषागार बलिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 527626

(3)

ट्रस्ट का नाम – मॉ मतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता– ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह,जनपद–बलिया।

ट्रस्ट का मुख्यालय– ग्राम–चन्दाडीह, पोस्ट–चन्दाडीह,जनपद–बलिया।

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय,संस्कृत महाविद्यालय,नर्सिंग संस्थान,चिकित्सा शिक्षा,मेडिकल कालेजो एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल मे मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा,व्यवसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था,क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन,प्रशिक्षण संस्थान,क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना,कम शुल्क मे पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन,मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगो को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना,खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय,अनाथालय,छात्रावास,सांस्कृतिक केन्द्र,आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम,वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान,बालोत्थान,कुष्ठरोगी,अस्पताल,प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी,कलाकेन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंगहोम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदा मे जिला,राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी,अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओ का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0 ,बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेजो,

Amit

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 527627

(4)

सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0 ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओ की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाये खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा । गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के राजकीय,राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा आश्रम, अनाथालय,वृद्ध आश्रम,चिकित्सालय,कुष्ठ आश्रम,विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक ,तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सकीय संस्थाओ आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला,यज्ञ,आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानो का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय– साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेवल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि,बागवानी,पशुपालन,गृह उद्योग,खाद्य प्रसंस्करण,नारी उत्थान,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्ग का उत्थान,भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास,स्वैच्छीकरण का विकास,औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, उर्जा, शिक्षा (प्रथमिक,माध्यमिक, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा,कम्प्यूटर शिक्षा,कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा,वन, आवास एवं सहरी नियोजन,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धमार्थ कार्य,लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा,परिवहन, परिवार कल्याण,समाज कल्याण, पर्यटन,खाद्य एवं रसद,मनोरंजन, बालविकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म,खेल–कूद,युवा कल्याण,खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमिविकास, जल संसाधन,परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण,लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग,दुग्ध विकास,ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबकारी, ग्रामीण रोजागार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा,न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग भाषा,मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण,कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 527628

(5)

नियंत्रण,गंगा–यमुना आदि स्वच्छीकरण, आपदा राहत,पेयजल एवं स्वच्छता,सहकारी समितिया, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय यूनानी चिकित्सा,प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाये, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,रिमोट सेंसिंग, ललित कला,चित्रकला,वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान,वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा,संगीत, नाटक,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार,भण्डारण, विचार, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाये आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा– 13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

.हिन्दी,संस्कृत,उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल,इण्टर कालेज,डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक, तकनीकी चिकित्सा व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थनो/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित मे संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि ।

आयकर अधिनियम 1991 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा ।

ट्रस्ट/ट्रस्टी का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा । प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद उनके पुत्रों मे से जो भी योग्य हो संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली मे से कोई इस पद को धारण करेगा ।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– मॉ मतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960. के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1982 नाट फार प्राफिट के अन्तर्गत।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 527629

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 06 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 51,000/– रूपये(इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थाई सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नही होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमे ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मलित होगें एवं इसके अतिरिक्त रूपया 10,000/–(रू0दस हजार) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा ।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम

1. संरक्षक ट्रस्टी(न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा ।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट(न्यास) के कार्यहित मे लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगे ।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णयक मत देना ।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट(न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट एवं न्यास के विकास के विभिन्न संसाधन इक्ट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बधित कार्यवाही से अवगत कराना ।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि–भवन का क्रय विक्रय लीज(पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना ।
9. मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल अचल सम्पतियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 527630

10. मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान /दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग,चन्दा,आम जनता किसी भी व्यक्ति,फर्म,एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना ।
11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास है।
12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा ।
13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट(न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों,परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना ।
15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमो,क्रिया–कलापों मे निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना,पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।
16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं,कार्यक्रम,क्रिया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।
17. ट्रस्ट के पदाधिकारी की असामयिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात उसका विधिक उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा ।
18. मुख्यट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि किसी विषम परिस्थिति में ट्रस्ट के विकास हेतु किसी को वसीयत भी लिख सकता है।

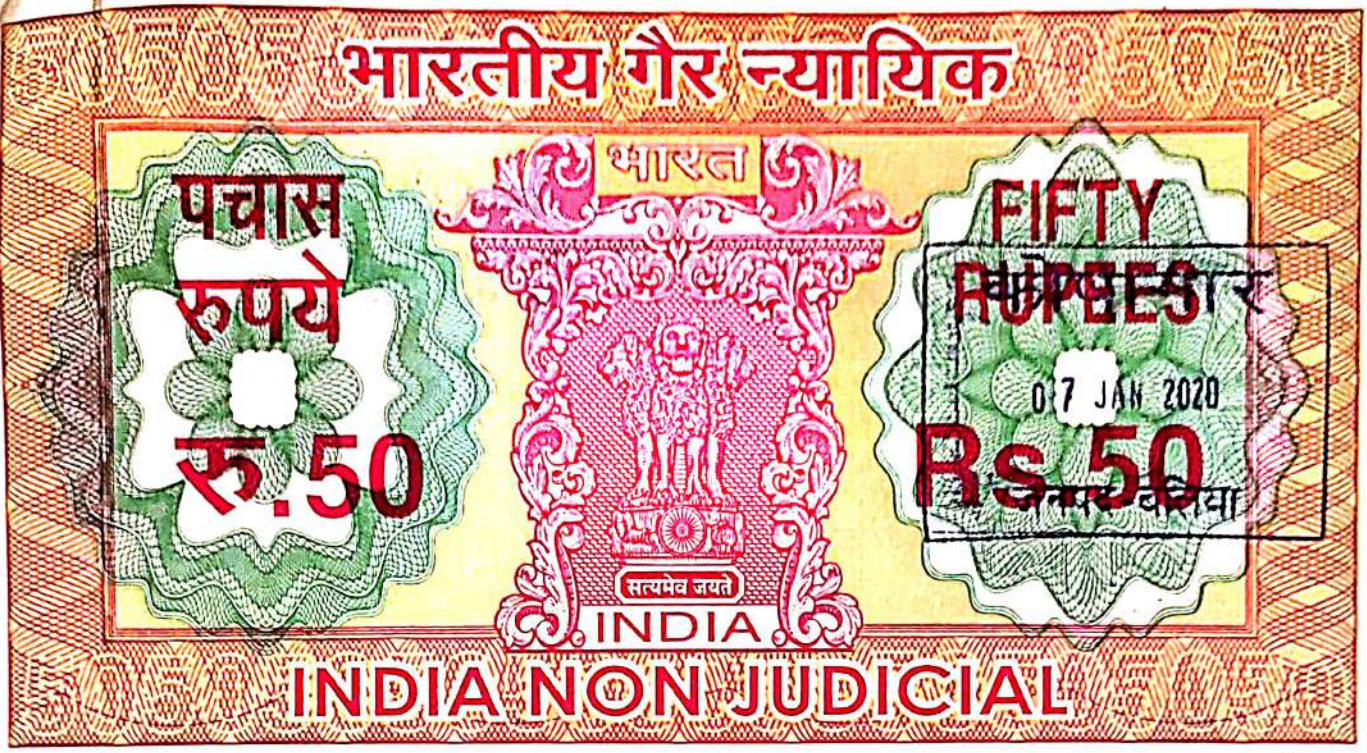

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349964

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति मे उसके कार्य का सम्पादन महासचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा। तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा ।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना ।
3. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना ।
4. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से जारी करना।
5. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्य बनानें संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है ।
6. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट(न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) मे नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यो को इसकी जानकारी देना ।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों मे भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं मे स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

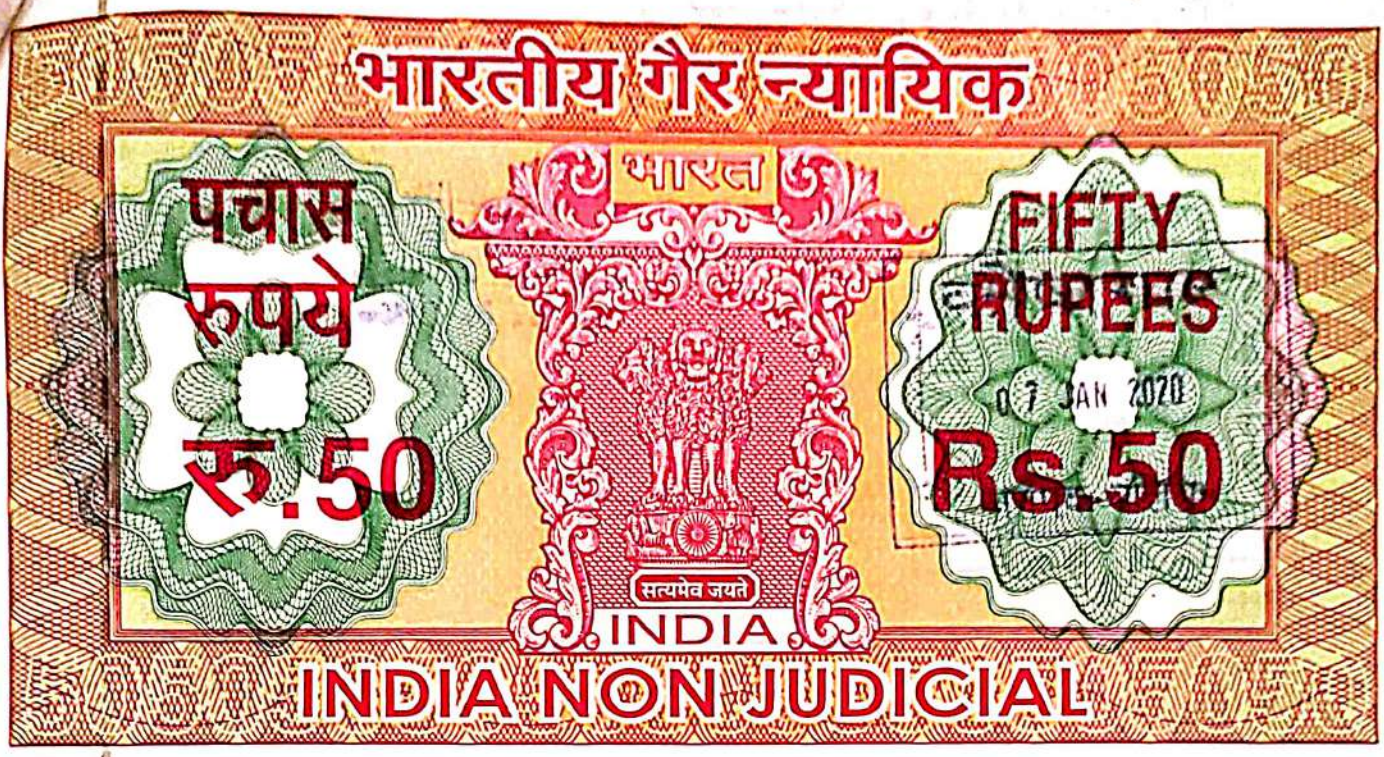

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349965

साधारण सभा(गठन)– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट(न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त 11,000/– रू0 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमाकराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होगें एवं इनकी अधिकतम संख्या 15 होगी तथा इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

बैठकें–

1. साधारण बैठकें– ट्रस्ट (न्यास)के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. विशेष बैठक– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

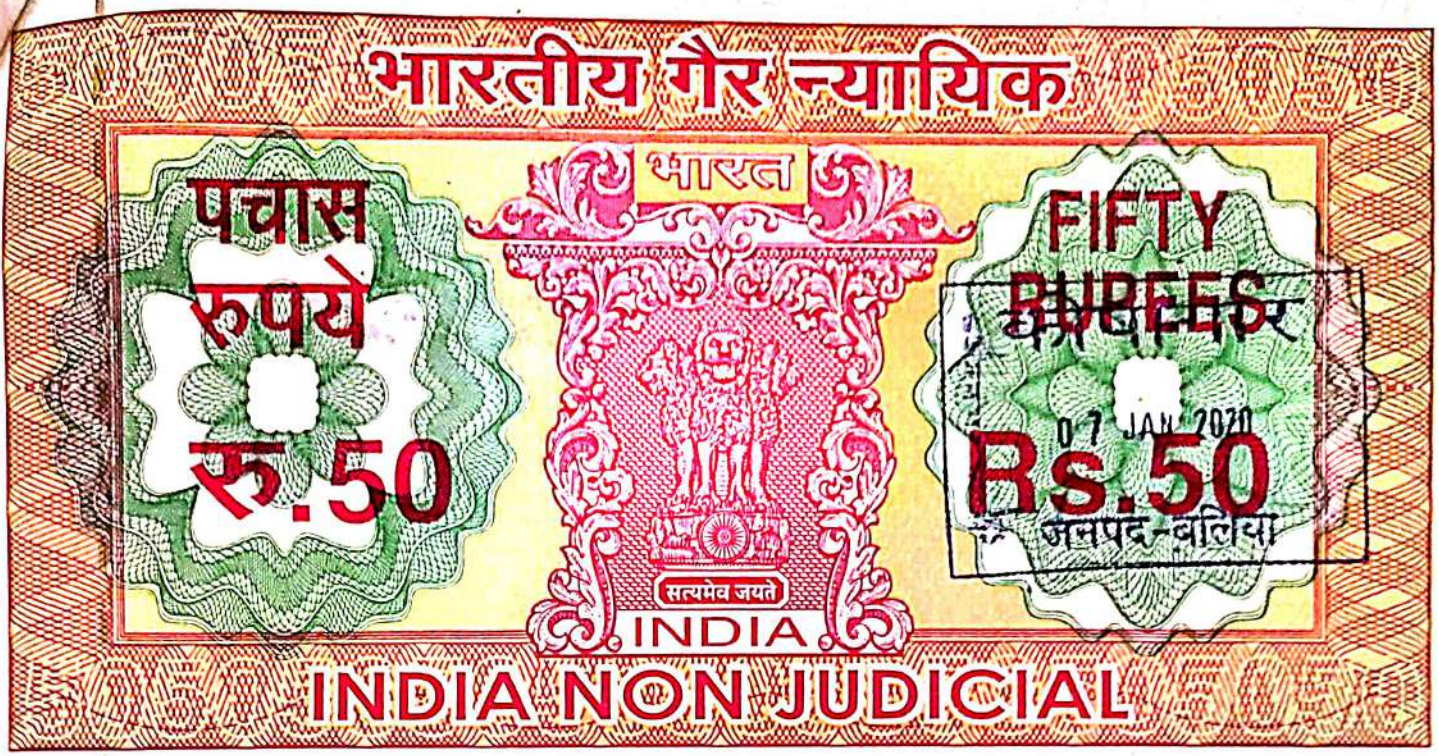

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349966

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक,फोन अथवा दस्ती के द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियो की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्त्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होगे–

अ– वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना ।

ब– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

स– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना ।

द– ट्रस्ट(न्यास)के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

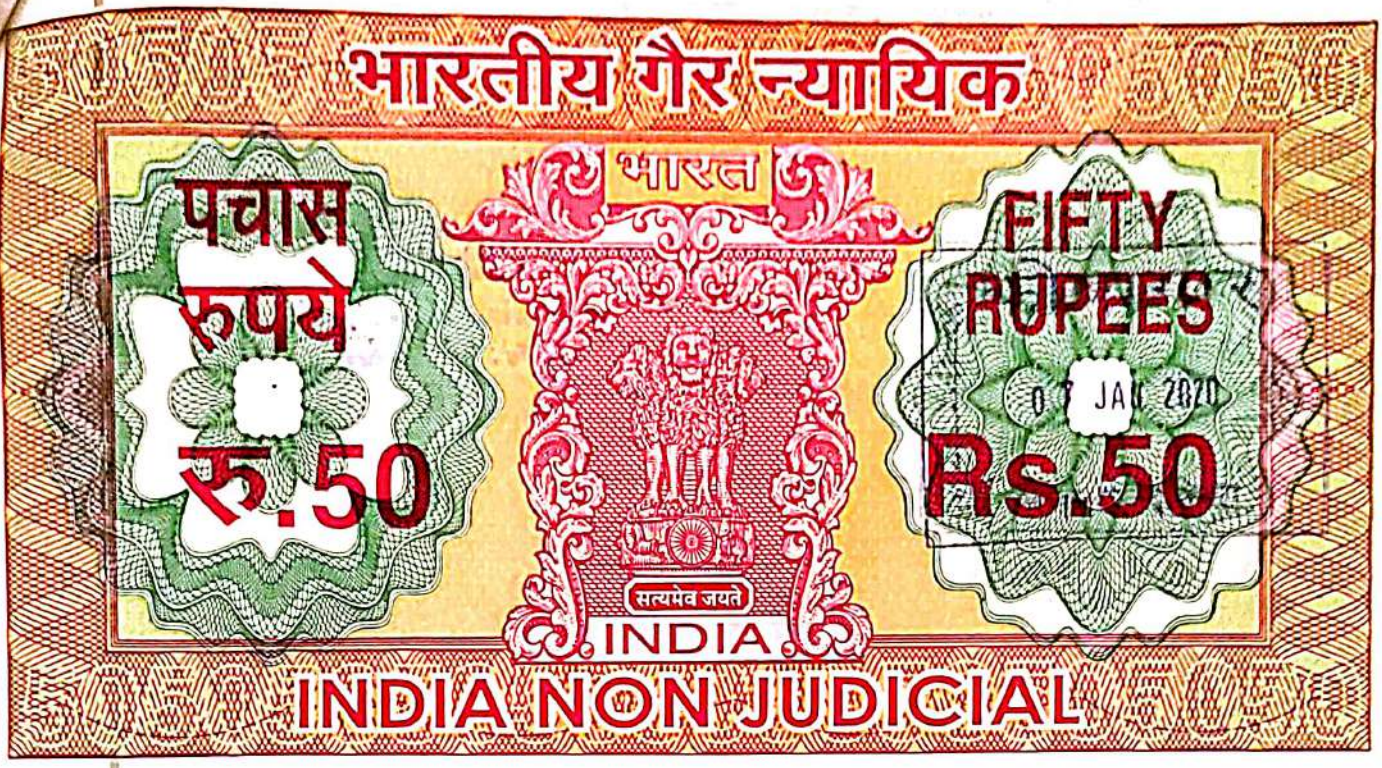

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349967

(11)

ट्रस्ट(न्यास), की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमे निम्न पद होगें .प्रबन्धक, उपप्रन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य । कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी । प्रबन्ध समिति कालातीत नही होगी तथा यदिं प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति मे ट्रस्ट(न्यास) का महासचिव प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य सस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा ।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349968

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्रों द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठको की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग–पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट(न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नही होगी । नये सदस्य की स्थाई नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 110000/–रूपये नकद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी । शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगी ।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्त्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होगें।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विर्सजित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति,निलम्बन,निष्कासन,पदोन्नति,विनियमितीकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उन्हे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया– समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्द्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349969

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष – ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रीयकृत बैक/डाकघर मे रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातो का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा ।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण– प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा ।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख– ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर,स्टाक रजिस्टर,कैशबुक, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होगे।

26. मॉ मतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से 5000/–रूपये प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है । इसके अलावा ट्रस्ट के पास कोई सम्पत्ति नही है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

07 JAN 2020

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 349970

27. **ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही–** ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी ।

मॉ मतुरनी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में कुल मु0 5000/–(रूपये पांच हजार मात्र) के अतिरिक्त कोई भी चल व अचल सम्पत्ति नही है ।

दिनांक–

ड्राफ्ट तैयारकर्त्ता– रहमत अली एडवोकेट तहसील-बेल्थरा रोड बलिया 10-02-2020

दस्तखत गवाह– राजेश वर्मा
नाम– राजेश वर्मा
पिता का नाम– स्व. बेचू
पता– ग्राम+पोस्ट-अखोप बलिया
मो0नं0– 9918694991

दस्तखत गवाह– तेजबहादुर मौर्य
नाम– तेजबहादुर मौर्य
पिता का नाम– रमाकान्त
पता– मु0+पो0 भुनेरी जनपद-बलिया
मो0नं0– 9918287037

50) पचास 04/02/2020 सा० न० 20 न० 33

आवेदन सं०: 202000975000407

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 44 के पृष्ठ 1 से 28 तक क्रमांक 13 पर दिनाँक 10/02/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीपक कुमार सिंह प्रभारी
उप निबंधक : बेल्थरा रोड
बलिया
10/02/2020

कार्यालय उप निबन्धक ★ बेल्थरारोड-बलिया

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAGTM8759C

नाम / Name
MAA MATURANI DEVI EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorpation/Formation
10/02/2020

06082020